

प्रशासक का कार्यालय,
सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट,
आदित्यपुर, जमशेदपुर ।

email : smp.jhr@gmail.com Fax : 0657-2370259

पत्रांक-सु0प्रशा0/बजट/कार्य-12-02/13- 02 /आदित्यपुर, दिनांक- 11/2

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर / चॉडिल कम्पलेक्स,
जमशेदपुर / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड ।

विषय:-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य
शीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष
-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन जातिय क्षेत्रिय उपयोजना, उप
शीर्ष-09-सुवर्णरेखा परियोजना ए0आई0बी0पी विस्तृत, शीर्ष-05
-निर्माण, 45-मुख्य निर्माण कार्य ; विपत्र कोड
-49P470080796090545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय
हेतु निधि का आवंटन ।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-7ब0/4700-यो0ज0सं0-04/12-168, दिनांक
17-01-2013

महाशय,

विभागीय पत्रांक-7ब0/4700-यो0ज0सं0-04/12-168, दिनांक
17-01-2013 में दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में पूर्व में विभाग द्वारा, सुवर्णरेखा
बहुद्वेशीय परियोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष
4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत परिशिष्ट -1 में दर्शाये गये
विभिन्न लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटित राशि उनके बीच
आवश्यकतानुसार पुनः आवंटित किया जा रहा है ।

क्र0	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5
1	49 -जल संसाधन विभाग, 4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	80-सामान्य/796 -जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना	09-सुवर्णरेखा परियोजना ए0आई0बी0पी0/05,-निर्माण, 45 -मुख्य निर्माण कार्य; विपत्र कोड 49P470080796090545	0.00

अतिरिक्त आवंटित राशि रू0 शून्य मात्र

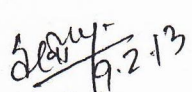
सहायक अभियंता,
मो0 सेल, प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर ।

उप निदेशक,
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर ।

संयुक्त सचिव,
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर ।

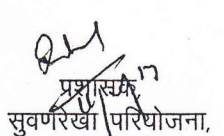
सुवर्णरेखा परियोजना,
आदित्यपुर, जमशेदपुर ।

- 2- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध रू0 7000.00 लाख (सत्तर करोड़) मात्र के अंतर्गत है ।
- 3- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक-2561 वि0 (2) दिनांक 17-4-98 एवं 1800 (वि0) दिनांक 15-7-2003 के आलोक में होगा ।
- 4- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-1/पी0एम0सी0/कार्य/404/06 (पार्ट-II) 19/2010-11 प्र0 स्वी0, रॉची, दिनांक 14-10-10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं विभागीय पत्रांक 135 दिनांक 31.01.13 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप परिशिष्ट-2 पर अंकित कार्यों के लिए किया जायेगा ।
- 5- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो ।
- 6- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है । प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सलग्न की जायेगी ।
- 7- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय ।
- 8- राशि की निकासी कर उसे चालू /बचत खाता में नहीं रखा जाय ।
- 9- आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय ।
- 10- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे । प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी ।
- 11- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा ।


सहायक अभियंता,
मो0 सेल, प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर ।


उप निदेशक,
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर ।


संयुक्त सचिव,
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर ।


सुवर्णरेखा परिषोजना,
आदित्यपुर, जमशेदपुर ।

- 12- AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
- 13- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
- 14- विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 15 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट:-यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट ([http:// www.wrdjharkhand.nic.in](http://www.wrdjharkhand.nic.in)) पर भी उपलब्ध है।

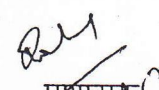
अनु:-यथोक्त।


प्रशासक,
सुवर्णरेखा परियोजना,
आदित्यपुर, जमशेदपुर।

ज्ञापांक-

02/आदित्यपुर, जमशेदपुर दिनांक-11/2/2013

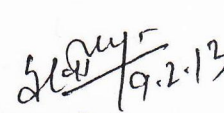
प्रतिलिपि - महालेखाकार(लेखा एवं हक), झारखण्ड पो0-हिन्नु, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला-खरसावाँ/चाईबासा, प0 सिंहभूम/उप कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

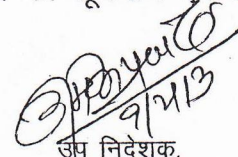

प्रशासक,
सुवर्णरेखा परियोजना,
आदित्यपुर, जमशेदपुर।

ज्ञापांक-

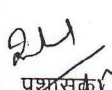
02/आदित्यपुर, जमशेदपुर, दिनांक-11/02/13

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो0), राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि0)/ उप सचिव(अभि0), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति /प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


सहायक अभियंता,
मो0 सेल, प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर।


उप निदेशक,
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर।


संयुक्त सचिव,
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर।


प्रशासक,
सुवर्णरेखा परियोजना,
आदित्यपुर, जमशेदपुर।

क्रमांक-02 दिनांक 11/2/13 का अनुलग्नक

परिशिष्ट

ग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना

उप शीर्ष - 09-स्वर्णरेखा परियोजना ए0आई0बी0पी0

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49P470080796090545

बजट उपबंध वर्ष 2012-13 में रु0 7000.00 (सत्तर करोड़) लाख मात्र।

राशि लाख रु0

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति
				पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	
1	खरकई लिंक नहर प्रमंडल, मुसाबनी	ईचा गालूडीह कम्पलेक्स	सुवर्णरेखा बहदृशीय परियोजना, जमशेदपुर	0.000	530.000	530.000	
2	खरकई बाँध प्रमंडल संख्या-1, मुसाबनी			0.000	50.000	50.000	
3	खरकई नहर प्रमण्डल, चाईबासा			3124.800	-665.000	2459.800	
4	लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-3, डिमना , जमशेदपुर			0.000	35.000	35.000	
5	लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-4, गालूडीह			0.000	50.000	50.000	
Total				3124.800	0.000	3124.800	

सहायक अभियंता,
मो० सेल, प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर

उप निदेशक,
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर

संयुक्त सचिव
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर

प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर

पत्रांक

०२

दिनांक

११/२/१३

का अनुलग्नक

परिशिष्ट-२

the Fund STSP

विपत्र कोड- 49P470080796090545

राशि लाख रु० में

	प्रमण्डल का नाम	योजना का नाम		कार्य का नाम	एकराशनामा सं०/ तिथि	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	खरकई लिंक नहर प्रमण्डल, मुसाबनी	सुवर्णरेखा परियोजना	(i)	Residual E/W & P.C.C. lining work, W.B.M. road and drain work from km 30.314 to 36.810 of R.M.C.	SBD-1/ 2012-13	0.000	500.000	500.000	
			(ii)	Construction of parallel channel (PL-3) from KM 29 of GRMC.	1F2/12-13	0.000	30.000	30.000	
				Total		0.000	530.000	530.000	
2	खरकई बाँध प्रम० सं०-1, मुसाबनी	सुवर्णरेखा परियोजना	(i)	Consturction of C.D. work at km 32.315, 34.71 & km 53.04 of G.R.M.C.	1SBD/12-13	0.000	50.000	50.000	
				Total		0.000	50.000	50.000	
3	खरकई नहर प्रमण्डल, चाईबासा	सुवर्णरेखा परियोजना	(i)	For Payment of land Acquisision of icha Dam		3124.800	-1665.000	1459.800	ईचा बाध के भु-अर्जन हेतु
			(ii)	E/W and lining from 0.00 to 17.835 of ILMC	1SBD/12-13	0.000	1000.000	1000.000	
				Total		3124.800	-665.000	2459.800	
4	जधु वितरणी, प्रमण्डल सं०-3, डिमना, जमशेदपुर	सुवर्णरेखा परियोजना	(i)	Purchase of 5 nos. Inspection Vehicles		0.000	35.000	35.000	
				Total		0.000	35.000	35.000	
5	जधु वितरणी, प्रमण्डल सं०-4, गालूडीह	सुवर्णरेखा परियोजना	(i)	Residual work of Barabanki and salbani Minor (OR-20,21 & 22 GrB) of CLMC	2F2/12-13	0.000	25.000	25.000	
			(ii)	Residual work of Sukhlara Minor (OR-25) and additional structure of Dhobapani Minor (OR-26) of CLMC	1F2/12-13	0.000	25.000	25.000	
				Total		0.000	50.000	50.000	
				G Total		3124.800	0.000	3124.800	

सहायक अभियंता,
मो० सेल, प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर

उप निदेशक,
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर

संयुक्त सचिव
प्रशासक कार्यालय,
आदित्यपुर, जमशेदपुर

प्रशासक,
आदित्यपुर, जमशेदपुर